अपील सूचना अधिकार संख्या 98/2021(GCMS 202/154) (आरटीआई नं. 212691824425762) श्री राधेश्याम गोयल जाति अग्रवाल, आयु 72 वर्ष, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52 एफ/509370) बनाम कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

14.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2021 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

लोकसभा चुनाव 2014 में बीएलओ श्री सुभाषचन्द गोयल, आयुक्त नगरपरिषद् व सचिव मलकीयत सिंह चुनाव ड्यूटी में ... प्रार्थी का पत्रांक 4694 का दिनांक 04.03.2014 के सम्बन्ध में वांछित सूचना : 1. प्रार्थी के पत्रांक 4694 दिनांक 04.03.2014 आपके कार्यालय के आर/आर नं. दिनांक की सूचना। 2. प्रार्थी के पत्रांक में वर्णित कथन कि सुभाष गोयल बीएलओ द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में प्रार्थी के परिवार में चार मतदाता पर्ची वितरित न करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 818 दिनांक 21.04.14 व 946 दिनांक 12.06.2014 को आयुक्त नगरपरिषद् व सचिव मलकीयत सिंह द्वारा बीएलओ के विरूद्ध जांच न कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. आयुक्त तत्कालीन श्री प्रहलाद राय मीणा व वर्तमान श्री करतार सिंह पूनियां द्वारा जांच बीएलओ के विरूद्ध न करने पर उसके विरूद्ध की गयी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1950 के तहत की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. श्री मलकीयत सिंह सैनी,.सचिव व तत्कालीन आयुक्त व वर्तमान आयुक्त के विरूद्ध आपके आदेशों की पालना न करने पर उनके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही की सूचना।

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(03)(19)RTIनिर्वा/2021/742 दिनांक 24.06.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपके आरटीआई प्रार्थना पत्र के संबंध में चाही गई सूचना का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :

क्र.सं.	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	प्रार्थी के पत्रांक 4694 दिनांक 04.03.2021 आपके कार्यालय के आर/आर नम्बर व दिनांक की सूचना।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानान्तर्गत सूचना अत्यधिक पुरानी होने के कारण इसकी आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है। अतः सूचना दी जानी संभव नहीं है।

बिन्दु संख्या 2 स 4 की सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), गंगानगर से संबंधित है। अतः इसकी सूचना के लिए आपका प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अपील अंतरित किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

Sd-
लोक सूचना अधिकारी
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, **श्रीगंगानगर ने अपने** पत्रांक आरटीआई/2021/1689 दिनांक 06.07.2021 से बिन्दु संख्या 02 से 04 का जवाब अपीलार्थी को निम्नानुसार दिया है:

क्र.सं.	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	प्रार्थी के पत्रांक में वर्णित कथन कि सुभाष गोयल बीएलओ द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में प्रार्थी के परिवार में चार मतदाता पर्ची वितरित न करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 618 दिनांक 21.04.2014 व 946 दिनांक 12.06.2014 से आयुक्त नगरपरिषद् व सचिव श्री मलकीयत सिंह द्वारा बीएलओ के विरूद्ध जांच न करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानान्तर्गत सूचना अत्यधिक पुरानी होने के कारण इसकी आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है। अतः सूचना दी जानी संभव नहीं है।
2	आयुक्त तत्कालीन श्री प्रहलाद राय मीणा व वर्तमान श्री करतार सिंह पूनियां द्वारा जांच बीएलओ के विरूद्ध न करने पर उसके विरूद्ध की गयी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1950 के तहत की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	
3	श्री मलकीयत सिंह सैनी,.सचिव व तत्कालीन आयुक्त व वर्तमान आयुक्त के विरूद्ध आपके आदेशों की पालना न करने पर उनके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही की सूचना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने बिन्दु संख्या 01 एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने बिन्दु संख्या 2 से 4 का जवाब अपीलार्थी को उक्तानुसार दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,** श्रीगांगनगर **द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी,** श्रीगांगनगर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर